

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 09.12. 2021


क्रमांक- एफ-74(II)/2021/बी-2/दो, यतः, राज्य सरकार ने 38(अठ्ठीस) थानों में पड़ रहे राज्यीय क्षेत्रों तथा सीमाओं को समाविष्ट करते हुए भोपाल नगरीय पुलिस जिले का गठन किया है जैसा कि इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- एफ-74(I)/2021/बी-2/दो दिनांक 9 दिसम्बर, 2021 की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित है;

2. और यतः भोपाल नगरीय पुलिस जिला में उपर्युक्त पुलिस थानों के उपर्युक्त क्षेत्रों एवं सीमाओं जैसा कि उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित है, एक नगरीय क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या 18, 86,100 (जनगणना 2011) है, जो 10 लाख से अधिक है;

3. अतएव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों को भोपाल नगरीय पुलिस जिले के पुलिस आयुक्त के गठन के प्रयोजनों के लिये मेट्रोपोलिटन क्षेत्र घोषित करती है।

4. यह अधिसूचना नौ दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के
नाम से तथा आदेशानुसार


(डॉ. राजेश राजारा)

अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 09.12.2021

क्रमांक-एफ-74(III)/2021/बी-2/दो यतः, राज्य सरकार ने इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-74(I)/2021/बी-2/दो दिनांक 09.12.2021 की अनुसूची में पूर्णतः वर्णित क्षेत्रों एवं सीमाओं को समाविष्ट करते हुए, ऐसी सीमाओं के अन्दर प्रभावी पुलिस के कामकाज हेतु, भोपाल नगरीय पुलिस जिले का गठन किया है;

और यतः राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 8 की उपधारा (1) के प्रयोजन हेतु इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-74(II)/2021/बी-2/दो दिनांक 09.12.2021 के अनुसार उपर्युक्त क्षेत्रों एवं सीमाओं को मेट्रोपोलिटन क्षेत्र भी घोषित किया है;

और यतः यह समीचीन समझा गया है कि उपर्युक्त मेट्रोपोलिटन क्षेत्र जैसा कि घोषित किया गया है, में ऐसी पुलिस प्रणाली को स्थापित किया जाये जो कि लोक व्यवस्था, अपराध तथा आंतरिक सुरक्षा की जटिल समस्याओं को अधिक व्यापक रूप से प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो;

और यतः उपर्युक्त उद्देश्य एवं प्रयोजन के अनुरूप, आगे यह समीचीन समझा गया है कि भोपाल के मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में पुलिस का प्रशासन पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय पदाभिहित अधिकारी, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की शक्तियों एवं प्राधिकारों के साथ भोपाल के पूरे उपर्युक्त मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में एक पदाभिहित अधिकारी में निहित किया जाये;

अतएव, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भोपाल नगरीय पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय को पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय कार्यालय के रूप में निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित अधिकारियों के साथ, पुनः-पदाभिहित करती है और उपर्युक्त पुलिस आयुक्त भोपाल नगरीय में पुलिस अधिनियम, 1861 अथवा अन्य किसी भी अधिनियम के अन्तर्गत, पुलिस आयुक्त की शक्तियों एवं प्राधिकारों को, मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन, निहित करती है;

और इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के सम्बन्ध में, भोपाल नगरीय के पुलिस आयुक्त, को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों और धारा 20 की उप-धारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसे संहिता की धारा 58, 106 से 124, 129 से 132 धारा 144 तथा 144क के अधीन शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करती है;

और इसके अतिरिक्त, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, भोपाल नगरीय पुलिस जिले में पदस्थ पुलिस उपायुक्तों एवं पुलिस सहायक आयुक्तों को उनके अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है और आगामी आदेश तक उनको संहिता की धारा 58, धारा 106 से 124, धारा 129 से 132, धारा 144 तथा धारा 144क के अन्तर्गत शक्तियों एवं कृत्य प्रदान करती है।

8
11/12/21

अनुसूची
भोपाल नगरीय पुलिस ज़िले के लिए राजपत्रित अधिकारियों के पद

क्र.	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	विवरण	पद संख्या
1.	पुलिस आयुक्त	पुलिस महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-14 (रु. 1,44,200-2,18,200)	ज़िले का पुलिस प्रमुख	1
2.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13A (रु. 1,31,100-2,16,600)	क्रानून और व्यवस्था	1
3.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	पुलिस उप महा निरीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-13A (रु. 1,31,100-2,16,600)	अपराध व मुख्यालय	1
4.	पुलिस उपायुक्त	पुलिस अधीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78,800-2,09,200)	ज़ोन यातायात अपराध मुख्यालय आसूचना व सुरक्षा योग	4 1 1 1 1 8
5.	अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 78,800-2,09,200)	स्टाफ़ अधिकारी ज़ोन यातायात अपराध मुख्यालय आसूचना सुरक्षा अजाक व महिला अपराध योग	1 4 2 1 1 1 1 1 12
6.	सहायक पुलिस आयुक्त	पुलिस उप अधीक्षक	राज्य वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 56,100-1,77,500)	ज़ोन यातायात सायबर मानवबध सम्पत्ति व आर्थिक अपराध पुलिस लाइन मुख्यालय व प्रशिक्षण डाटा विश्लेषण न्यायालयीन आसूचना सुरक्षा अजाक व महिला अपराध योग	12 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 29
7.	सहायक रेडियो अधिकारी	पुलिस उप अधीक्षक (रेडियो)	राज्य वेतन मैट्रिक्स स्तर-12 (रु. 56,100-1,77,500)	मुख्यालय	1


(Handwritten signature)

2. पृथक जोन के अधिकारियों का अधिक्रम एवं अधिकारिता दी गई तालिका अनुसार होगी:-

जोन	पद	पद	पद	थाना
1	पुलिस उपायुक्त जोन 1	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 1	सहायक पुलिस आयुक्त टीटी नगर	टीटी नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त जहांगीराबाद	कमला नगर
			सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज	रातीचड्ड
2	पुलिस उपायुक्त जोन 2	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 2	सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा	जहांगीराबाद
			सहायक पुलिस आयुक्त एमपी नगर	ऐजबाग
			सहायक पुलिस आयुक्त मिसरोद	मैथन बजरिया
3	पुलिस उपायुक्त जोन 3	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 3	सहायक पुलिस आयुक्त कोतबानी	हबीबगंज
			सहायक पुलिस आयुक्त शाहजहाँनाबाद	शाहपुरा
			सहायक पुलिस आयुक्त हनुमानगंज	अभोका मार्दन
4	पुलिस उपायुक्त जोन 4	अतिरिक्तपुलिस उपायुक्त जोन 4	सहायक पुलिस आयुक्त निशातपुरा	गोविंदपुरा
			सहायक पुलिस आयुक्त वैरागढ़	पिपलानी
			सहायक पुलिस आयुक्त चूना भट्टी	अवधपुरी

3. यह अधिसूचना नौ दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(अ.रा.जी.रा.क.वि.)
अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
अधिसूचना


भोपाल, दिनांक 09.12. 2021

क्रमांक- एफ-74(I)/2021/वी-2/दो, पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विद्यमान पुलिस जिले भोपाल उत्तर, भोपाल दक्षिण को पुनर्गठित करते हुए, पुलिस अधिनियम, 1861 के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई अनुसूची में यथा उल्लिखित निम्नलिखित पुलिस थानों से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारिता के साथ दो पुलिस जिले भोपाल नगरीय (Bhopal Urban) और भोपाल देहात (Bhopal Rural) का गठन करते हैं, अर्थात्:-
अनुसूची

क्र.	पुलिस जिले का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता थाने	पुलिस प्रशासन का प्रमुख
1.	भोपाल नगरीय	<ol style="list-style-type: none"> 1. कोतवाली, 2. तलैया, 3. श्यामना हिल्स, 4. शाहजहानाबाद, 5. कोहेफ़िज़ा, 6. टीला जमालपुरा, 7. हनुमानगंज, 8. मंगलवारा, 9. गीतम नगर, 10. निशातपुरा, 11. गांधीनगर, 12. छोला मंदिर, 13. बैरागढ़, 14. खजूरी सड़क, 15. टी.टी.नगर, 16. कमला नगर, 17. हबीबगंज, 18. शाहपुरा, 19. कोलार रोड, 20. जहाँगीराबाद, 21. ऐशबाग, 22. स्टेशन बजरिया, 23. गोविंदपुरा, 24. पिपलानी, 25. अशोका गार्डन, 26. मिसरोद, 27. बाग सेवनिया, 28. कटारा हिल्स, 29. अयोध्या नगर, 30. चूना भट्टी, 31. अबधपुरी, 32. रातीबड़ 33. महाराणाप्रताप नगर, 34. अरेरा हिल्स, 35. महिला, 36. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, 37. यातायात, 38. अपराध 	पुलिस अधीक्षक, भोपाल नगरीय पुलिस जिला
2.	भोपाल ग्रामीण (Bhopal Rural)	<ol style="list-style-type: none"> 1. बैरनिया, 2. गुनगा, 3. नजीराबाद, 4. ईटखेड़ी, 5. सूखी सेवनियाँ, 6. बिलखिरिया 7. परवलिया सड़क 	पुलिस अधीक्षक, भोपाल ग्रामीण पुलिस जिला

2. यह अधिसूचना नौ दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(डॉ. राजेश राजोरा)

अपर मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग